पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के D.O. No. M-11015/76/2020-CB 15मई, 2020 का संलग्नक

1. कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु निवारक उपाय
2. सामुदायिक स्तर पर एकजुटता एवं कोविड–19 रोग सम्बन्धी स्टिग्मा (**Stigma**) को दूर करना
3. कोविड–19 महामारी संबंधी निगरानी गतिविधियों में सहायता
4. संगरोध (**Quarantine**)/ एकांत (**Isolation**) में सहायता
5. जरूरत मंद लोगों की पहचान एवं उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था
6. ग्राम में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाऐं की निरन्तरता सुनिश्चित करना
7. त्वरित कार्यवाही यदि कोविड़–19 मामले संज्ञान में आते हैं। (यह अनुभाग तभी भरा जाय जब ग्राम पंचायत में कोविड–19 सम्बन्धी मामले संज्ञान में आते है।
8. ग्राम पंचायत में स्वच्छता (**hygiene & sanitation**) सुनिश्चित कराना

सामुदायिक तैयारी चैकलिस्ट

ग्राम पंचायत का नाम.......................................विकास खण्ड..............................जनपद..........................

चैकलिस्ट भरने का दिनांक..

क्र.सं.	मूल्यांकन बिन्दु	प्रास्थिति (Status)	अभ्युक्ति
I.	कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु निवारक उपाय		
1.	क्या आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति गठित है?	हॉ / नहीं	
2.	क्या समिति ने अपने मध्य एक नोडल व्यक्ति का चयन कर लिया है?	हॉ / नहीं	
3.	क्या समिति द्वारा स्वयंसेवकों को कोविड–19 संबंधी गतिविधियों में प्रतिभागिता हेतु नामांकित एवं प्रोत्साहित किया है?	हॉ / नहीं	
4.	क्या समिति द्वारा कोविड–19 संबंधी गतिविधियो में स्वयं सहायता समूह एवं अन्य समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिभाग सुनिश्चित किया गया है?	हॉ / नहीं	
5.	क्या समिति के सदस्यों एवं स्वयं सेवकों को निम्न विषयों की जानकारी है :– • कोविड–19 के प्रसार के कारण / तरीके	हॉ / नहीं	

	• मास्क / फेस कवर पहनने का महत्व • सामाजिक दूरी अपनाना • हाथ धोने का उचित तरीका • खांसने / छींकने का सही तरीका (Cough etiquettes) • घर में क्वारंटीन कैसे रहे • निरन्तर स्पर्श होने वाली सतहों की सफाई एवं कीटाणुशोधन • सार्वजनिक स्थानों की सफाई एवं कीटाणुशोधन • स्थानीय एवं राज्य स्तरीय कोरोना हैल्पलाईन नम्बर (1075, 011–23978046, 020–26127394)		
6.	क्या समिति द्वारा निवारक एवं नियंत्रक उपायों के सन्दर्भ में ग्रामवासियों को अवगत कराया गया है?	हॉ / नहीं	
7.	क्या समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक जन संचार माध्यमों की पहचान करते हुए प्रचार–प्रसार हेतु उनका प्रयोग किया है?	हॉ / नहीं	
8.	निम्न के सन्दर्भ में ग्रामीणों का अनुपालन का स्तर किस प्रकार है : • सामाजिक दूरी • मास्क / रूमाल / फेस कवर का प्रयोग • साबुन एवं पानी से हाथ धोना	बहुत अच्छा / अच्छा / खराब / बहुत खराब	
9.	क्या उपरोक्त के अनुपालन की जॉच की कोई व्यवस्था है?	हॉ / नहीं	
10.	क्या समिति द्वारा उन सभी स्थानों का चिह्नांकन कर लिया गया है, जहाँ अधिक संख्या में ग्रामीण एकत्र होते हैं (साप्ताहिक बाजार, मेले, आदि)?	हॉ / नहीं	
11.	क्या ऐसे स्थानों में भीड़ नियंत्रण एवं सामाजिक दूरी हेतु उपाय कर लिये गये हैं। यदि हां तो कृपया उल्लेख करें?	हॉ / नहीं	
12.	क्या ग्राम पंचायत द्वारा वृद्ध एवं सहरूग्णता (comorbidities) से	हॉ / नहीं	

	ग्रसित व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है?		
13.	क्या समिति द्वारा वृद्धों एवं सहरूग्णता से ग्रसित व्यक्तियों की देखभाल (परिचर्या) की योजना बना ली गई है?	हॉ/नहीं	
II.	**सामुदायिक स्तर पर एकजुटता एवं कोविड–19 रोग सम्बन्धी स्टिग्मा (Stigma) को दूर करना**		
14.	क्या समिति में समुदाय के सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व है?	हॉ/नहीं	
15.	क्या समिति द्वारा समाज के सभी वर्गो (अल्पसंख्यक समुदायों सहित) तक पहुचने एवं उनकी चिंताओ को दूर करने का प्रयास किया गया है?	हॉ/नहीं	
16.	क्या समिति के सदस्य/ग्रामीण ऐसे व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को जो कि रोगग्रसित हैं, की सहायता की महत्ता समझते है?	हॉ/नहीं	
17.	क्या समिति द्वारा बीमारी से सम्बन्धी (भेदभाव/स्टिग्मा) को रोकने हेतु उपाय किये गये है?	हॉ/नहीं	
III.	**कोविड–19 महामारी संबंधी निगरानी गतिविधियों में सहायता**		
18.	क्या समिति द्वारा निम्न की सूची तैयार की गई है : • 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति • उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह रोगी • गर्भवती महिलायें	हॉ/नहीं	
19.	क्या समिति द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों की समुचित देखभाल हेतु कोई योजना बनाई है?	हॉ/नहीं	
20	क्या समिति द्वारा खाँसी, जुकाम एवं ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु कोई योजना बनाई गई है?	हॉ/नहीं	
21.	क्या समिति सदस्यः आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, का खाँसी, जुकाम एवं ज्वर से संक्रमित व्यक्तियों के सर्वेक्षण में सहायता कर रहें है?	हॉ/नहीं	
22.	क्या समिति बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रख रही है एवं कोविड–19 से बचाव के निवारक उपाय कर रही है?	हॉ/नहीं	

(IV) संगरोध (Quarantine)/ एकांत (Isolation)में सहायता			
23.	क्या समिति सदस्य घर पर क्वारनटीन लोगों पर नजर रखने में आशा को सहायता प्रदान कर रहे हैं?	हॉ/नहीं	
24.	क्या समिति सदस्य घर पर पर क्वारनटीन लोगों के परिवारों की आवश्यक सावधानियाँ बरतने में सहायता कर रहें हैं?	हॉ/नहीं	
25.	क्या समिति द्वारा घर पर क्वारनटीन व्यक्ति एवं उसके परिवार को आवश्यक वस्तुऐं उनके घर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं?	हॉ/नहीं	
26.	जहाँ पर घर पर क्वारनटीन सम्भव नहीं है क्या ग्राम स्तर पर क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध है?	हॉ/नहीं	
27.	यदि हाँ तो क्या ग्राम स्तरीय क्वारंटीन सुविधा में निम्न व्यवस्थायें है? • पर्याप्त स्थान के साथ आर–पार हवा जाने (Cross Ventilation) की व्यवस्था। • बिजली एवं पानी की व्यवस्था। • शौचालय व्यवस्था। • हाथ धोने की सुविधा। • कीटाणुनाशक। • भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था।	 हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं	
(V) जरूरत मंद लोगों की पहचान एवं उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था			
28.	क्या समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है?	हॉ/नहीं	
29.	यदि हाँ तो क्या उक्त योजना के संचालन हेतु आवश्यक स्रोतों की पहचान कर ली गई है?	हॉ/नहीं	
30.	क्या ग्राम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की निगरानी की कोई व्यवस्था है?	हॉ/नहीं	
31.	जरूरतमंदों के लिए PDS के अतिरिक्त क्या आवश्यक सेवाओ के वितरण हेतु कोई अन्य व्यवस्था है?	हॉ/नहीं	
32.	क्या समिति द्वारा प्रवासियों के रहने	हॉ/नहीं	

	एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु कोई व्यवस्था की है?		
33.	क्या समिति द्वारा मनरेगा या उसी प्रकार की किसी अन्य योजना के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार देने की कोई योजना बनाई है?	हॉ / नहीं	
34.	क्या समिति द्वारा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (front line workers) एवं उनके परिवारों हेतु आवश्यक सहयोग सुनिश्चित किया गया है?	हॉ / नहीं	
(VI) ग्राम में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाऐं की निरन्तरता सुनिश्चित करना			
35.	क्या ग्राम स्तर पर नैत्यिक (स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सहित) स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें नियमित रूप से चल रही है?	हॉ / नहीं	
36.	क्या आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की नियमित देखभाल हेतु उनके निरन्त सम्पर्क में है?	हॉ / नहीं	
37.	क्या आशा/ आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री संचारी एवं गैर संचारी रोगों से सम्बन्धित उच्च जोखिम (High Risk) मामलों की देखभाल हेतु उनके नियमित सम्पर्क में हैं?	हॉ / नहीं	
38.	क्या समिति के पास उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह से सम्बन्धित रोगियों हेतु पर्याप्त मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध है?	हॉ / नहीं	
39.	क्या आकस्मिकता की स्थिति में मरीजों को परामर्श हेतु भेजने के लिये यातायात सुविधा उपलब्ध है?	हॉ / नहीं	
40.	क्या समिति के सदस्य राजकीय चिकित्सा वाहन (Ambulance) कोविड़ हेतु –108 एवं अन्य बीमारियों हेतु 102 के विषय में जानते है?	हॉ / नहीं	
41.	क्या समिति अवगत है कि कोविड़–19 मरीज को किस अस्पताल में भेजा जाना है?	हॉ / नहीं	
42.	यदि कोई प्रवासी (जो TB अथवा किसी अन्य सहरूग्णता से ग्रसित है) वापस लौटा है तो क्या समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर उसे आवश्यक सहयोग प्रदान किया	हॉ / नहीं	

	है?		
(VII) त्वरित कार्यवाही यदि कोविड़–19 मामले संज्ञान में आते हैं। (यह अनुभाग तभी भरा जाय जब ग्राम पंचायत में कोविड–19 सम्बन्धी मामले संज्ञान में आते है।)			
43.	क्या ग्राम में प्रवेश हेतु एकमात्र मार्ग है?	हॉ / नहीं	
44.	यदि हाँ तो क्या वहाँ पर्याप्त प्रचार सामग्री लगाई गयी है?	हॉ / नहीं	
45.	क्या समिति द्वारा सभी व्यक्तियों का (पुलिस, स्वास्थ्य एवं समस्त अन्य व्यक्तियों सहित) आगमन द्वार पर कोविड–19 संबंधी अनिवार्य पजीकरण सुनिश्चित कराया जा रहा है?	हॉ / नहीं	
46.	क्या समिति लोगों के ग्राम से बाहर जाने एवं आने की सम्पूर्ण सूचना एकत्र कर रही है?	हॉ / नहीं	
47.	क्या समिति यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण जोखिम के संदर्भ में समुचित जानकारी रख रहें हैं?	हॉ / नहीं	
48.	क्या पारम्परिक शवदाह गृहों / कब्रिस्तान आदि में सहायता करने वाले कर्मचारी प्रशिक्षित हैं एवं उन्हें इस अवधि में होने वाले अंतिम संस्कार से संबंधित सम्पूर्ण सावधानियों (Protocols) के विषय में सम्पूर्ण जानकारी है?	हॉ / नहीं	
49.	क्या ग्राम पंचायत के पास अंतिम संस्कार के दौरान सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की योजना है?	हॉ / नहीं	
50.	क्या समिति द्वारा समुदाय से व्यापक संवाद किया है जिससे कन्टेनमेण्ट की स्थिति में प्रोटोकाल के परिपालन हेतु समुदाय से समुचित समर्थन प्राप्त हो सकें।	हॉ / नहीं	
51.	क्या समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि निर्धारित दल द्वारा घर–घर जाकर सक्रिय केसों के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त कर ली गई है?	हॉ / नहीं	
52.	क्या समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों को मिल चुकी है?	हॉ / नहीं	

53.	क्या समिति द्वारा स्वयं सेवकों के माध्मम से निगरानी प्रयासों में सहायता की जा रही है?	हॉ / नहीं	
(VIII) ग्राम पंचायत मेंस्वच्छता (hygiene & sanitation)सुनिश्चित कराना			
54.	क्या ग्राम पंचायत अन्तर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में साबुन एवं पानी से हाथ धोने की समुचित सुविधा उपलब्ध है?	हॉ / नहीं	
55.	क्या ग्राम में नियमित**fumigation** किया गया है? यदि हाँ तो समयावधि एवं प्रयुक्त रसायन अंकित करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।	हॉ / नहीं	
56.	क्या मच्छरों को पनपने से रोकने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा भी**fumigation** किया जाता है?यदि हाँ तो समयावधि एवं प्रयुक्त रसायन अंकित करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।	हॉ / नहीं	
57.	क्या ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था कर रही है? यदी हाँ तो किस प्रकार अंकित करें।	हॉ / नहीं	
58.	क्या ग्राम की नालियाँ नियमित रूप से साफ की जाती है?	हॉ / नहीं	
59.	क्या ग्राम पंचायत ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि पंचायत अन्तर्गत कही भी पानी के जमाव की स्थिति नहीं है यदि हाँ तो किस प्रकार।	हॉ / नहीं	
60.	क्या समिति ने ग्राम एवं उसके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु समुदाय की स्वैच्छिक सेवायें ली है? यदि हॉ तो कृपया विवरण दें।	हॉ / नहीं	